संख्या-22/2015/1028/18-4-2015-10(बजट)/07.

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक [illegible] अगस्त,2015

विषयः- गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो लखनऊ के पत्रांक-29/ई0पी0बी0/आई0आई0ए0 बैठक/2015-16, दिनांक 10-04-2015 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-668/18-4-2008-10(बजट)/07, दिनांक 06-02-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित "यह अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी के समस्त औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भाड़े का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 5000 प्रति टी0ई0यू0 (20 फिट कन्टेनर) की दर से प्रदान किया जायेगा जिसकी प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख तक होगी" के स्थान पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. यह अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी के समस्त औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु माल को भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भाड़े का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 6000/-प्रति टी0ई0यू0 (20 फिट कन्टेनर)/रू0 12000/- प्रति टी0ई0यू0, (40 फिट कन्टेनर), जो भी कम हो, की दर से प्रदान किया जायेगा, जिसकी प्रति निर्यातक इकाई प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रू0 12.00 लाख तक होगी।

2.निर्यातक इकाई द्वारा अपना कन्साईन्मेंट निर्यात हेतु विदेशी क्रेता को भेजे जाने के लिए शिपमेंट की तिथि से अधिकतम 180 दिवस के अंदर सम्बन्धित क्लेम का दावा प्रत्येक दशा में जिला उद्योग केन्द्र में दाखिल कर दिया जायेगा, अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात् दाखिल दावे स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

3. प्रश्नगत अनुदान एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के निर्माता निर्यातकों को ही देय होगा।

Date of Receipt 11.9.15 No. 22645606
Through: Courier/Reg./Ord./Others

4.योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0 के प्रभारी के स्तर से दी जाने वाली सत्यापन रिपोर्ट के स्थान पर निर्यातक इकाई को सम्बन्धित निर्यात हेतु शिपमेंट बिल की कापी व विदेशी क्रेता द्वारा निर्यात के सापेक्ष निर्यातक के बैंक खाते में हस्तान्तरित किए गये धनराशि के सम्बंध में बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा।

5.योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की धनराशि सीधे निर्यातक इकाई के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिकली ट्रान्सफर किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-2770/18-4-2012-72(विविध)/12, दिनांक 26.12.2012 की व्यवस्था यथावत् रहेंगी।

6. निर्यात इकाई द्वारा दावा दाखिल करने हेतु आवेदन पत्र संशोधित प्रारूप तथा योजनान्तर्गत आवेदन से भुगतान तक की प्रक्रिया आनलाइन किये जाने के सम्बंध में प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश निर्यात आयुक्त के स्तर से जारी होंगे।

(2) संदर्भित शासनादेश दिनांक 06.02.2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्था यथावत् रहेगी।

(3) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

(4) यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-6-434/10-2015, दिनांक 17.08.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या-1028/18-4-2015, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0 कानपुर।
3. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम/उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम/कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया।
4. परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
6. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 668/18-4-2008-10(बजट)/2007

प्रेषक,

डा0 आर. सी. श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

लघु उद्योग अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी 2008**

विषयः गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश लैण्डलाग्ड राज्य होने के कारण जो माल निर्यात किया जाता है वह समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की अपेक्षा मंहगा पड़ता है, इस कारण प्रदेश में दूरस्त क्षेत्रों में पारम्परिक उत्पादन कौशल होते हुये भी निर्यात का विकास वांछित स्तर का नहीं हो पाता। इसको दृष्टिगत् रखते हुये शासनादेश संख्या-916/18-4-99-18(बजट-4)/99 दिनांक 14 जुलाई, 1999 तत्क्रम में संशोधित शासनादेश संख्या-2600/ 18-4-99-18 (बजट-4)/99 दिनांक 24 सितम्बर, 1999 में निहित प्राविधानानुसार प्रदेश के निर्यातकों को अपने उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से भेजे जाने वाले माल पर हुये भाड़े की प्रतिपूर्ति हेतु एक्सपोर्ट फ्रेट प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । वित्तीय वर्ष 2007-08 से उक्त शासनादेश के प्राविधानों में कतिपय संशोधनो के उपरांत **त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान** प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी के समस्त औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भाड़े का 25 प्रतिशत् अधिकतम् रू0 5000 प्रति टी0ई0यू0 (20फिट कन्टेनर) की दर से प्रदान किया जायेगा जिसकी प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष अधिकतम् सीमा रू0 10.00 लाख तक होगी ।

उपरोक्तानुसार अनुदान की धनराशि की स्वीकृति सम्बन्धित इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन संचालित एजेन्सी की संस्तुति पर जिला यूजर्स कमेटी द्वारा की जायेगी । यूजर्स कमेटी का गठन निम्नवत् होगा :-

1.	सम्बन्धित जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य-सचिव
3.	प्रबन्धक (निर्यात), जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
4.	जनपद के प्रमुख निर्यातक लघु उद्योग इकाईयों के तीन प्रतिनिधि	सदस्य
5.	प्रभारी इन्लैंड कण्टेनर डिपो/कण्टेनर फ्रेट स्टेशन	सदस्य

लघु उद्योग इकाईयों के प्रतिनिधि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे । जिला यूजर्स कमेटी द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से सम्बन्धित इकाईयों को बजट की उपलब्धता के आधार पर भुगतान कराई जायेगी । इस शासनादेश के साथ योजना की मार्गदर्शिका एवं आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार उल्लिखित वित्तीय सहायता वर्ष 2007–08 में पात्र निर्यातकों द्वारा भेजे गये कन्टेनरों के सापेक्ष उपलब्ध कराई जायेगी तथा वर्ष 2006–07 व इसके पूर्व दावा वर्षो के अन्तर्गत भेजे गये कन्टेनरों के सापेक्ष पूर्व शासनादेश संख्या–916 दिनांक 14.7.1999 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश संख्या–2600 दिनांक 24.9.1999 में उल्लिखित दर के अनुसार वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी जिसका भुगतान इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 के आवंटित बजट से किया जायेगा।

यह शासनादेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–ई0–6–978–10–08 दिनांक 24.1.2008 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

(डा0 आर. सी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
लघु उद्योग एवं निर्यात
प्रोत्साहन,
उ0प्र0 शासन।

शासनादेश संख्या 668 (1)/18–4–2008–10(बजट)/2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम/उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम/कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
3. परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश ।
5. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी ।
6. अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 शासन ।

आज्ञा से,

(मारकण्डेय सिंह)
विशेष सचिव

गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान

मार्गदर्शिका
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो
उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यातकों को राज्य के भू–आच्छादित होने के कारण अपने उत्पादों को गेटवे पोर्ट तक परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के भार को कम करते हुये निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान योजना के संचालन का निर्णय लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता की रूपरेखा निम्नवत् है:–

प्रस्तावना :– इस योजना को ''गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान'' के नाम से जाना जायेगा। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र की निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने हेतु भाड़े में किये गये व्यय में कमी करते हुये बन्दरगाहों के समीप स्थित राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त व्यय–भार की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

परिभाषायें :–

1. राज्य का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश'' राज्य से है।
2. **एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो**– इसका तात्पर्य प्रदेश से निर्यात के प्रोत्साहन हेतु गठित किये गये ब्यूरो से है।
3. निर्यातक से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के अन्दर कार्यरत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादक– निर्यातक से है, जिसका उत्पादन केन्द्र उ0प्र0 में हो तथा उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीनस्थ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत हो अथवा और 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006' के धारा–8 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के रूप में सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में ज्ञापन जमा किया हो तथा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो से उत्पादक–निर्यातक के रूप में पंजीकृत हो।
4. आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0–इसका तात्पर्य इनलैण्ड कन्टेनर डिपो तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के उन केन्द्रों से है जो उ0प्र0 में स्थित हों।

अतिरिक्त व्यय–भार की प्रतिपूर्ति योजना के लिए पात्रता :–इस वित्तीय सहायता की अनुमन्यता के लिए निम्नलिखित शर्ते होगी:–

1. निर्यातक जिसका उत्पादन केन्द्र उ0प्र0 में हो तथा उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीनस्थ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत हो अथवा और 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006' के धारा–8 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के रूप में सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में ज्ञापन जमा किया हो तथा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो से उत्पादक–निर्यातक के रूप में पंजीकृत हो।
2. निर्यातक के पास ज्वाइण्ट डी0जी0एफ0टी0 के कार्यालय/कार्यालयों से प्राप्त आई0ई0कोड पंजीकरण संख्या हो।

अतिरिक्त व्यय–भार प्रतिपूर्ति की राशि :–

1. यह धनराशि आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0 द्वारा निर्यात हेतु भेजे गये माल पर परिवहन मद में होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत् अथवा रू0 5000/– प्रति टी0ई0यू0, जो भी कम हो, अनुमन्य होगी जो निर्यातकों द्वारा निर्यात हेतु दिनांक 1.4.2007 के पश्चात् भेजे गये माल पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु लागू होगी ।

2. वित्तीय वर्ष 2006–07 व इसके पूर्व दावा वर्षों के अन्तर्गत भेजे गये कन्टेनरों के सापेक्ष पूर्व शासनादेश संख्या–916 दिनांक 14.7.1999 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश संख्या–2600 दिनांक 24.9.1999 में उल्लिखित दर के अनुसार वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी जिसका भुगतान इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 के आवंटित बजट से किया जायेगा।

विशेष :–

1. इस वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद अथवा योजना के संचालन के सम्बन्ध में निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो तथा सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन द्वारा दिया जाने वाला निर्णय अन्तिम होगा।
2. योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन–पत्र एवं आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0 के प्रभारी के स्तर से दी जाने वाली सत्यापन रिपोर्ट का प्रारूप एवं संलग्न है।

भवदीय,

(डा0 आर. सी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
लघु उद्योग एवं निर्यात
प्रोत्साहन,
उ0प्र0 शासन।

गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान के दावे का आवेदन–पत्र

1. फर्म का नाम :

2. पूरा पता :

3. ई0पी0बी0 पंजीयन संख्या एवं दिनांक :

4. सूक्ष्म / लघु उद्योग पंजीयन / ज्ञापन संख्या एवं दिनांक :

5. प्रबन्ध निदेशक / पार्टनर / प्रोप्राईटर का नाम :

6. दूरभाष / फैक्स / ई–मेल / इण्टरनेट आदि का विवरण :

7. निर्यातक की श्रेणी (सूक्ष्म / लघु उद्योग) :

8. आयात–निर्यात कोड नं0तथा जारी करने वाले डी0जी0एफ0टी0 कार्यालय का पता :

9. आई0सी0डी0 / सी0एफ0एस0 के माध्यम से निर्यात हेतु भेजे गये कन्टेनर्स का विवरण :

अ. निर्यात की तिथि :

ब. कन्टेनर सं0 :

स. कन्टेनर की माप (20फिट / 40फिट) :

द. निर्यात की जाने वाली वस्तु का विवरण :

य. आयातक देश का नाम :

र. परिवहन शुल्क :

ल. कैश रसीद नं0 :

आवेदक के हस्ताक्षर

आई0सी0डी0 अधिकारी की रिपोर्ट :–

प्रार्थना–पत्र के क्रम सं0.........पर उपलब्ध विवरणों का परीक्षण सी0एफ0एस0/आई0सी0डी0 में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कर लिया गया है तथा त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान हेतु अनुमन्य पाया गया है। इस सम्बन्ध में आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0 के स्तर की सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं।

प्रबन्धक
(आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0)
लेखाकार/खजांची।